वित्त मंत्रालय मांग संख्या 29 आर्थिक कार्य विभाग

| | | वास्तविक 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | | संशोधि | ੀਰ 2018-20 | 19 | बजट 2019-2020 | | |
|--|------|--------------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|---------|------------|-----------|----------------------|----------|----------|
| | राउ | नस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| <u> </u> | ਲ 3 | 477.31 | 6012.91 | 9490.22 | 4871.23 | 13458.23 | 18329.46 | 3177.50 | 26445.14 | 29622.64 | 3061.18 | 17168.22 | 20229.40 |
| नसूर्ग वसूर्ग | | -15.21 | -8682.01 | -8697.22 | | -3800.00 | -3800.00 | | -6400.00 | -6400.00 | | -4250.00 | -4250.00 |
| प्रारि | | 607.61 | -208.50 | -816.11 | -511.59 | -1275.03 | -1786.62 | -614.55 | -10553.35 | -11167.90 | -483.77 | -1375.01 | -1858.78 |
| निव | ie 2 | 854.49 | -2877.60 | -23.11 | 4359.64 | 8383.20 | 12742.84 | 2562.95 | 9491.79 | 12054.74 | 2577.41 | 11543.21 | 14120.62 |
| क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 आर्थिक मामलों के विभाग | | 195.81 | | 195.81 | 239.86 | | 239.86 | 137.93 | | 137.93 | 181.47 | | 181.47 |
| 2. संबद्ध कार्यालय | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 दूतावास, वॉशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो आदि के आर्थिक विंग | | 12.38 | | 12.38 | 15.22 | | 15.22 | 14.37 | | 14.37 | 15.54 | | 15.54 |
| 2.02 वायदा बाजार आयोग | | 0.56 | | 0.56 | 1.50 | ••• | 1.50 | 0.83 | ••• | 0.83 | 1.18 | ••• | 1.18 |
| 2.03 सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण | | 5.43 | | 5.43 | 11.46 | | 11.46 | 10.15 | | 10.15 | 11.35 | | 11.35 |
| 2.04 पंद्रहवां वित्त आयोग | | 5.29 | | 5.29 | 32.00 | | 32.00 | 23.63 | | 23.63 | 20.90 | | 20.90 |
| जोड़- संबद्ध कार्यालय | | 23.66 | | 23.66 | 60.18 | | 60.18 | 48.98 | | 48.98 | 48.97 | | 48.97 |
| 3. वास्तविक वसूलियाँ | | -14.97 | | -14.97 | | | | | ••• | | | | |
| जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय | | 204.50 | | 204.50 | 300.04 | | 300.04 | 186.91 | | 186.91 | 230.44 | | 230.44 |
| केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | | | | | | | | | | | | | |
| राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) | | 342.38 | 0.35 | 342.73 | 1999.99 | 0.01 | 2000.00 | | 1000.00 | 1000.00 | 3.00 | 997.00 | 1000.00 |
| 5. अर्थक्षमता अंतराल निधियन | | 500.58 | 56.32 | 556.90 | 150.00 | 90.69 | 240.69 | 190.69 | 50.00 | 240.69 | 200.69 | 40.00 | 240.69 |
| ब्याज समकरण सहायता | | | | | | | | | | | | | |
| 6. भारतीय कंपनियां | | 9.23 | | 9.23 | 44.40 | | 44.40 | 44.40 | | 44.40 | 44.40 | | 44.40 |
| 7. एक्जिम बैंक | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 सकल बजट | | 571.92 | | 571.92 | 629.11 | | 629.11 | 629.11 | | 629.11 | 629.11 | | 629.11 |
| 7.02 घटाएं वसूलियां | | -0.24 | | -0.24 | | | | | | | | | |
| | निवल | 571.68 | | <i>571.68</i> | 629.11 | | 629.11 | 629.11 | | 629.11 | 629.11 | | 629.11 |

सं 29/आर्थिक कार्य विभाग

| | | 1 | | | | | _ 1 | | | I | (र कराइ) | | | |
|------------------|---|---------------|--------------|---------|---------|---------------|---------|----------|------------------------|---------|-------------------|---------|---------|--|
| | | वास | तविक 2017-20 | | बजट | बजट 2018-2019 | | | ਜ 2018-20 ⁻ | | बजट 2019-2020 | | | |
| | | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | |
| | याज समकरण सहायता | 580.9 | 1 | 580.91 | 673.51 | | 673.51 | 673.51 | ••• | 673.51 | 673.51 | | 673.51 | |
| गेड़-केन्द्री | य क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | 1423.8 | 7 56.67 | 1480.54 | 2823.50 | 90.70 | 2914.20 | 864.20 | 1050.00 | 1914.20 | 877.20 | 1037.00 | 1914.20 | |
| केंद्रीय क्षेत्र | का अन्य व्यय | | | | | | | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | | | | | | | | |
| अंतर | ाष्ट्रीय⁄राष्ट्रीय अंशदान | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान | 0.2 | 2 | 0.22 | 0.23 | | 0.23 | 0.25 | | 0.25 | 0.25 | | 0.25 | |
| 9. | अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थान को अंशदान: | 0.0 | 7 | 0.07 | 0.10 | | 0.10 | 0.09 | | 0.09 | 0.10 | | 0.10 | |
| 10. | अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) | 77.3 | 8 | 77.38 | | | | 103.00 | | 103.00 | 94.12 | | 94.12 | |
| 11. | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं: | 60.6 | 4 | 60.64 | 85.25 | | 85.25 | 96.43 | | 96.43 | 95.25 | | 95.25 | |
| 12. | एएफडीएफ के एमडीआरआई को अंशदान | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.01 सकल बजटीय सहायता | 3.0 | 7 | 3.07 | 3.24 | | 3.24 | 3.24 | | 3.24 | 3.42 | | 3.42 | |
| | 12.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि | -3.0 | 7 | -3.07 | -3.24 | | -3.24 | -3.24 | | -3.24 | -3.42 | | -3.42 | |
| | | निवल | | | | | | | | | | | | |
| 13. | आईडीए को अंशदान | | | | | | | | | | | | | |
| | 13.01 सकल बजटीय सहायता | 408.3 | | 408.33 | 408.34 | | 408.34 | 408.34 | | 408.34 | 408.34 | | 408.34 | |
| | 13.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि | -408.3 | 3 | -408.33 | -408.34 | | -408.34 | -408.34 | | -408.34 | -408.34 | | -408.34 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग: | 52.5 | 2 | 52.52 | 52.52 | ••• | 52.52 | 57.69 | ••• | 57.69 | 58.73 | | 58.73 | |
| <i>15</i> . | एशियाई विकास निधि में अंशदान | | | | | | | | | | | | | |
| | 15.01 सकल बजटीय सहायता | | | ••• | 0.01 | ••• | 0.01 | ••• | ••• | | 0.01 | | 0.01 | |
| | 15.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि | | | | -0.01 | | -0.01 | | | | -0.01 | | -0.01 | |
| | 0.10.00 | निवल | | | | | | | | | | | | |
| 16. | एशियाई विकास निधि में अंशदान-12 | | _ | | | | | | | | | | | |
| | 16.01 सकल बजटीय सहायता | 64.5 | | 64.50 | 66.00 | | 66.00 | 68.97 | ••• | 68.97 | 72.00 | | 72.00 | |
| | 16.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि | -64.5 निवल | 0 | -64.50 | -66.00 | | -66.00 | -68.97 | ••• | -68.97 | -72.00 | | -72.00 | |
| | एसएआर टीटीएसी में अंशदान | | | | | *** | | | | | | | | |
| 17. | एसएआर टाटाएसा म अशवान एएफडीएफ के लिए अंशदान | 115.8 | 2 | 115.82 | ••• | ••• | | ••• | ••• | | ••• | | ••• | |
| 18. | 0 | 07.0 | • | 07.00 | 04.00 | | 04.00 | 04.00 | | 0.4.00 | | | | |
| | | 67.2 | | 67.28 | 34.00 | | 34.00 | 34.00 | ••• | 34.00 | ••• | | ••• | |
| | 18.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि | -67.2 निवल | | -67.28 | -34.00 | ••• | -34.00 | -34.00 | ••• | -34.00 | ••• | ••• | ••• | |
| 40 | जलवायु क्रिया सहकर्मी विनिमय (सीएपीई) को योगदान | | | | | | 12.06 | 0.01 | | 0.01 | | | | |
| 19. | जलवायु क्रिया सहकमा ावानमय (साएपाइ) का यागदान नए विकास बैंक (एनडीबी) के लिए परियोजना तैयारी निधि में | | | | 12.96 | ••• | 12.96 | 0.01 | ••• | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | |
| 20. | नए विकास बक (एनडाबा) के लिए परियोजना तयारा निर्धि म भारत का योगदान | | | ••• | 10.00 | | 10.00 | 12.00 | | 12.00 | ••• | | ••• | |
| जोड-अ | तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान | 306.6 | 5 | 306.65 | 161.06 | | 161.06 | 269.47 | ••• | 269.47 | 248.46 | _ | 248.46 | |

| | | | • | | i | | | i | | | i | (र कराइ) | | | |
|---------------------|--|-----------|---------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|---------|------------|----------|-----------|----------|---|--|
| | | | वास्तवि | क 2017-20 | 18 | ৰजट 2018-2019 | | | संशोधि | ੀਰ 2018-20 | 19 | बजट | 0 | | |
| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | |
| 21. | उधार के लिए नई व्यवस्था: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21.01 सकल बजट | | | 7.29 | 7.29 | | 1000.00 | 1000.00 | | 1000.00 | 1000.00 | | 1000.00 | 1000.00 | |
| | 21.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि | | | -7.29 | -7.29 | | -1000.00 | -1000.00 | | -1000.00 | -1000.00 | | -1000.00 | -1000.00 | |
| | | निवल | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | मुद्रा, सिक्का और निर्माण: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.01 एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद | | | 1572.02 | 1572.02 | | 2800.00 | 2800.00 | | 2200.00 | 2200.00 | | 2800.00 | 2800.00 | |
| | 22.02 कम की गई वसूलियां | | | -1572.02 | -1572.02 | | -2800.00 | -2800.00 | | -2200.00 | -2200.00 | | -2800.00 | -2800.00 | |
| | | निवल | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | आरक्षित निधि | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23.01 गारंटी मोचन निधि | | 600.00 | | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | |
| | 23.02 गोल्ड आरक्षित फंड | | 204.57 | | 204.57 | 146.25 | | 146.25 | 515.00 | | 515.00 | 538.00 | | 538.00 | |
| | 23.03 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि | | 64.43 | | 64.43 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| | 23.04 दावा न किए गए जमाओं की प्राप्तियां | | -64.43 | | -64.43 | | | | -100.00 | | -100.00 | | | | |
| | | निवल | 804.57 | | 804.57 | 746.25 | | 746.25 | 1115.00 | | 1115.00 | 1138.00 | | 1138.00 | |
| 24. | अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (अंतरराष्ट्रीय अंशदान) | | 00 1.01 | | 00 | , , , , , , | | , , , , , | 7770.00 | | 7770100 | 7700.00 | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
| | 24.01 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बैठक की ओर व्यय (एडीबी / | | 42.81 | | 42.81 | 71.01 | | 71.01 | 70.11 | | 70.11 | 11.01 | | 11.01 | |
| | एएफडीबी / सार्क / एसडीएफ / ब्रिक्स - नए विकास | | 12.01 | ••• | 12.01 | 7 1.01 | ••• | 7 1.0 1 | 70.11 | ••• | 70.11 | 11.01 | ••• | 11.01 | |
| | बैंक/एआईआईबी और जीआईजेड के लिए सेवा कर) | | | | | | | | | | | | | | |
| कार्यर्न | तिक एवं सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम (आईएसएसआईएफसी) | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | नेशनल इनवेस्टमेंट फंड (एनआईएफ) में स्थानांतरण | | | | | | 1000.00 | 1000.00 | | 1000.00 | 1000.00 | | 250.00 | 250.00 | |
| <i>26.</i> | भारतीय रणनीतिक और सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम | | | ••• | ••• | ••• | 1000.00 | 1000.00 | ••• | 1000.00 | 1000.00 | ••• | 200.00 | 200.00 | |
| 20. | 26.01 सकल बजटीय सहायता | | | | | | 1000.00 | 1000.00 | | 1000.00 | 1000.00 | | 1000.00 | 1000.00 | |
| | 26.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरा किया गया | | ••• | | | | -1000.00 | -1000.00 | | | -1000.00 | | -250.00 | -250.00 | |
| | 20.02 | निवल | ••• | | | ••• | | -1000.00 | | | -1000.00 | ••• | 750.00 | 750.00 | |
| जोन क | र्जार्यनीतिक एवं सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम (आईएसएसआईएफसी) | , , , , , | | ••• | ••• | | 1000.00 | 1000.00 | | 1000.00 | 1000.00 | | 1000.00 | 1000.00 | |
| जाइ-क <i>27.</i> | गयनातिक एव सामाजिक जयसरचना ।वत्त ।नगम (आइएसएसआइएकस) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश | | ••• | ••• | | ••• | 1000.00 | 1000.00 | ••• | 1000.00 | 1000.00 | ••• | 1000.00 | 1000.00 | |
| 21. | | | | 4004.07 | 4004.07 | | 4267 F2 | 4267.52 | | 44076.00 | 44076.00 | | FF00.40 | EE00.40 | |
| | | | ••• | 4204.87 | 4204.87 | | 4367.53 | 4367.53 | | 14276.99 | | | 5599.19 | 5599.19 | |
| | 27.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त | | • | ••• | | ••• | -0.03 | -0.03 | ••• | -9278.35 | -9278.35 | ••• | -100.01 | -100.01 | |
| | राशियां (एडीबी / एफ, एएफडीबी / एफ, आईएमएफ) 27.03 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वसूलियां घटाकर | | | 7400.00 | 7400.00 | | | | | | | | | | |
| | 27.03 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वसूलिया घटाकर | निवल | | -7109.99 | | ••• | | | ••• | | | ••• | | | |
| | | 1न वल | | -2905.12 | -2905.12 | | 4367.50 | 4367.50 | | 4998.64 | 4998.64 | | 5499.18 | 5499.18 | |
| <i>28.</i> | अन्य व्ययः | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28.01 समय वर्जित मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान और सरकारी खाते में जमा हुई लावारिस | | 0.03 | | 0.03 | 0.02 | | 0.02 | 0.03 | ••• | 0.03 | 0.02 | | 0.02 | |
| | प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान । | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28.02 संरक्षित बचत योजनाएं | | | | | 0.03 | | 0.03 | 0.02 | | 0.02 | 0.02 | | 0.02 | |

| | | 1 | | | | | i | | | | (१ कराइ) | | | |
|-------------|--|---------|-----------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|-----------|----------|----------------------|----------|----------|--|
| | | वास्तवि | क 2017-20 | 18 | ৰजट 2018-2019 | | | संशोधि | त 2018-20 | 19 | बजट 2019-2020 | | | |
| | | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | |
| | 28.03 आईएमएफ को देय मूल्यांकन प्रभार | 1.04 | | 1.04 | 1.04 | | 1.04 | 0.64 | ••• | 0.64 | 0.64 | | 0.64 | |
| | 28.04 अन्य सामान्य आर्थिक सेवा के अंतर्गत अन्य व्यय | 13.76 | | 13.76 | 27.99 | | 27.99 | 13.80 | ••• | 13.80 | 24.67 | | 24.67 | |
| | 28.05 एमडीआर प्रभार | 4.65 | | 4.65 | 200.00 | | 200.00 | | ••• | | | | ••• | |
| | 28.06 नई योजनाएं | ••• | | | ••• | 3000.00 | 3000.00 | | 2450.39 | 2450.39 | | 4000.00 | 4000.00 | |
| | 28.07 भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (आईआईपीडीएफ) | | | | 2.00 | | 2.00 | 0.15 | | 0.15 | 0.75 | | 0.75 | |
| | 28.08 गोल्ड मुद्रीकरण योजना 2015 के लिए आयोग | 43.09 | | 43.09 | 10.50 | | 10.50 | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| | जोड़- अन्य व्यय: | 62.57 | | 62.57 | 241.58 | 3000.00 | 3241.58 | 44.64 | 2450.39 | 2495.03 | 56.10 | 4000.00 | 4056.10 | |
| 29. | सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण | | | | | | | | | | | | | |
| | 29.01 गृह निर्माण अग्रिम | | 53.83 | 53.83 | | 75.00 | 75.00 | | 125.00 | 125.00 | | 125.00 | 125.00 | |
| | 29.02 मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम | | 0.04 | 0.04 | | 0.24 | 0.24 | | 0.24 | 0.24 | | 0.24 | 0.24 | |
| | 29.03 कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम | | 48.33 | 48.33 | | 74.76 | 74.76 | | 74.76 | 74.76 | | 74.76 | 74.76 | |
| | 29.04 घटाएं प्राप्तियां | | -201.21 | -201.21 | | -275.00 | -275.00 | | -275.00 | -275.00 | | -275.00 | -275.00 | |
| | निवल | | -99.01 | -99.01 | | -125.00 | -125.00 | | -75.00 | -75.00 | | -75.00 | -75.00 | |
| 30. | लघु बचत योजनाएं | 9.52 | | 9.52 | 16.20 | | 16.20 | 12.62 | | 12.62 | 16.20 | | 16.20 | |
| 31. | बजट के लिए मशीनों की खरीद | | | | | 10.00 | 10.00 | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 32. | आवास संबंधी पूंजी परिव्यय: | | 3.94 | 3.94 | | 40.00 | 40.00 | | 10.00 | 10.00 | | 20.00 | 20.00 | |
| 33. | अफ्रीकन विकास बैंक लिए ब्रिज लोन | | 65.92 | 65.92 | | | | | 37.00 | 37.00 | | | | |
| 34. | स्वर्ण मुद्रीकरण योजना | | | | | | | | | | | | | |
| | 34.01 स्वर्ण जमा | | | | | | | | 3200.00 | 3200.00 | | 1200.00 | 1200.00 | |
| | 34.02 घटाएं-कम की गई वसूलियां | | | | | | | | -3200.00 | -3200.00 | | -1200.00 | -1200.00 | |
| | निवल | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती | | | | | | | | 20.76 | 20.76 | | | | |
| 36. | | | | | | | | | | | | 52.03 | 52.03 | |
| जोड़-व | | 1226.12 | | -1708.15 | 1236.10 | 8292.50 | 9528.60 | 1511.84 | 8441.79 | 9953.63 | 1469.77 | 10506.21 | | |
| • | । क्षेत्र का अन्य व्यय | 1226.12 | -2934.27 | -1708.15 | 1236.10 | 8292.50 | 9528.60 | 1511.84 | 8441.79 | 9953.63 | 1469.77 | 10506.21 | 11975.98 | |
| कुल जोड़ | | 2854.49 | -2877.60 | <i>-23.11</i> | 4359.64 | 8383.20 | 12742.84 | <i>2562.95</i> | 9491.79 | 12054.74 | 2577.41 | 11543.21 | 14120.62 | |
| ख. विकासात | | | | | | | | | | | | | | |
| सामान्य सेव | • | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | अन्य राजकोषीय सेवाएं | 9.81 | | 9.81 | 16.53 | | 16.53 | 12.96 | | 12.96 | 16.55 | | 16.55 | |
| 2. | सचिवालय-सामान्य सेवाएं | 185.11 | | 185.11 | 239.86 | | 239.86 | 137.93 | | 137.93 | 181.47 | | 181.47 | |
| 3. | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 10.72 | | 10.72 | 43.46 | | 43.46 | 33.78 | | 33.78 | 32.25 | | 32.25 | |
| 4. | विविध सामान्य सेवाएं | 604.68 | | 604.68 | 800.02 | | 800.02 | 600.03 | | 600.03 | 600.02 | | 600.02 | |
| 5. | मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | (| र कराइ) |
|---|---------------|----------------|----------|--------------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|-----------|
| | वास्त | विक 2017-20 | 18 | बर | ৰजट 2018-2019 | | | धेत 2018-20 |)19 | बज | 0 | |
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय | | | | | 10.00 | 10.00 | | | | | 10.00 | 10.00 |
| जोड़-सामान्य सेवाएं | 810.32 | | 810.32 | 1099.87 | 10.00 | 1109.87 | 784.70 | | 784.70 | 830.29 | 10.00 | 840.29 |
| सामाजिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | | | | 0.03 | | 0.03 | 0.02 | | 0.02 | 0.02 | | 0.02 |
| 8. अन्य सामाजिक सेवाएं | ••• | | | ••• | | ••• | ••• | | | ••• | | ••• |
| 9. आवास पर पूंजी परिव्यय | | 3.94 | 3.94 | | 40.00 | 40.00 | | 10.00 | 10.00 | | 20.00 | 20.00 |
| जोड़-सामाजिकसेवाएं आर्थिकसेवाएं | | 3.94 | 3.94 | 0.03 | 40.00 | 40.03 | 0.02 | 10.00 | 10.02 | 0.02 | 20.00 | 20.02 |
| 10. कृषि वित्तीय संस्थान | 77.38 | | 77.38 | | | | 103.00 | | 103.00 | 94.12 | | 94.12 |
| 11. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान | 342.38 | | 342.38 | 1999.99 | | 1999.99 | | | | 3.00 | | 3.00 |
| 12. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं | 116.86 | | 116.86 | 24.00 | | 24.00 | 12.65 | | 12.65 | 0.65 | | 0.65 |
| 13. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 831.31 | | 831.31 | 438.71 | | 438.71 | 861.27 | | 861.27 | 906.08 | | 906.08 |
| 14. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश | | 0.35 | 0.35 | | 1000.01 | 1000.01 | | 2000.00 | 2000.00 | | 1997.00 | 1997.00 |
| 15. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश | | -2905.12 | -2905.12 | | 4267.50 | 4367.50 | | 4998.64 | 4998.64 | | 5499.18 | 5499.18 |
| 16. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओ पर पूंजी परिव्यय | | 56.32 | 56.32 | | 3090.69 | 3090.69 | | 2500.39 | 2500.39 | | 4040.00 | 4040.00 |
| 17. कृषि वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण | | | | | | | | | | | 52.03 | 52.03 |
| 18. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण | | | | | | | | 20.76 | 20.76 | | | |
| 19. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण | | | | | | | | 37.00 | 37.00 | | | |
| 20. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण | | | | | | | | | | | | |
| जोड़-आर्थिक सेवाएं | 1367.93 | -2848.45 | -1480.52 | 2462.70 | 8458.20 | 10920.90 | 976.92 | 9556.79 | 10533.71 | 1003.85 | 11588.21 | 12592.06 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 21. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग | 676.24 | | 676.24 | 797.04 | | 797.04 | 801.31 | | 801.31 | 743.25 | | 743.25 |
| 22. विदेशी सरकारों को अग्रिम | | 65.92 | 65.92 | | | | | | | | | |
| 23. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण | | -99.01 | -99.01 | | -125.00 | -125.00 | | -75.00 | -75.00 | | -75.00 | -75.00 |
| जोड़-अन्य | 676.24 | -33.09 | 643.15 | 797.04 | -125.00 | 672.04 | 801.31 | -75.00 | 726.31 | 743.25 | -75.00 | 668.25 |
| कुल जोड़ | 2854.49 | -2877.60 | -23.11 | 4359.64 | 8383.20 | 12742.84 | 2562.95 | 9491.79 | 12054.74 | 2577.41 | 11543.21 | 14120.62 |
| | | | | | | | | | | | | (₹ करोड़) |
| | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जो | बजट इ सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं | |
| ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | (₹ करोड़) |
|--|---------------|----------------|------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|-----------|
| | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ |
| 1. राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि लि0 | 0.35 | | 0.35 | 0.01 | | 0.01 | 1000.00 | 1 | 1000.00 | 997.00 | | 997.00 |
| सामरिक एवं सामाजिक बुनियादी ढांचा वित्त निगम | | | | 1000.00 | | 1000.00 | 1000.00 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | | 1000.00 |
| एडीबी और केएफडब्ल्यू को अवसंरचना लीजिंग एवं वित्तीय सेवा लि0 द्वारा ऋण | | | | | | | 20.76 | | 20.76 | | | |
| की अदायगी जोड़ | 0.35 | ••• | 0.35 | 1000.01 | ••• | 1000.01 | 2020.76 | 2 | 2020.76 | 1997.00 | | 1997.00 |

- 1. **सचिवालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- 2. **संबद्ध कार्यालयः** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के संबद्ध कार्यालयों अर्थात वाशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो दूतावास के आर्थिक स्कन्ध आदि, फॉरवर्ड बाजार आयोग (एफएमसी), प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी), पंद्रहवां वित्त आयोग के स्थापना व्यय के लिए है।
- 4. **राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) लिमिटेड में हस्तांतरण और निवेश के लिए है और उसके प्रबंधन शुल्क के लिए है।
- अर्थक्षमता अंतराल निधियन: यह प्रावधान सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता
 अंतराल निधियन (वी.जी.एफ.) के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं को बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
 - 6. **भारतीय कंपनियां:** इस प्रावधान में भारतीय कंपनियों के लिए ब्याज समता सहायता शामिल है।
 - 7. **एक्जिम बैंक:** इस प्रावधान में भारत के एक्जिम बैंक को दी जा रही ब्याज समता सहायता शामिल है।
- 8. **आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान:** यह प्रावधान आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान के लिए है।
- 9. **अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थान को अंशदान::** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थान को अंशदान देने के लिए है।
- 10. **अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी):** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास विधि (आईएफएडी) को अंशदान देने के लिए है।

- 11. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:: यह प्रावधान अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं (तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडल निधि, अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग, राजकोषीय संबंधों संबंधी आर्थिक सहभागिता और विकास नेटवर्क संगठनों को अंशदान, जीएफएटीएम और जीएवीआई को अंशदान के अंतर्गत अंशदान देने के लिए है।
- 12. **एएफडीएफ के एमडीआरआई को अंशदान:** यह प्रावधान अफ्रीकी विकास निधि के बहुपक्षीय ऋण राहत पहल में अंशदान करने के लिए है।
 - 13. **आईडीए को अंशदान:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को अंशदान देने के लिए है।
- 14. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग:: यह प्रावधान अन्य देशों के साथ तकनीकि और आर्थिक सहयोग (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान, वैश्विक पर्यावरण न्यास निधि आदि में अंशदान) में अंशदान के लिए है।
 - 15. **एशियाई विकास निधि में अंशदान:** यह प्रावधान एशियाई विकास निधि में अंशदान करने के लिए है।
 - 16. **एशियाई विकास निधि में अंशदान-12:** यह प्रावधान एशियाई विकास निधि-12 में अंशदान करने के लिए है।
- 19. जलवायु क्रिया सहकर्मी विनिमय (सीएपीई) को योगदान: जलवायु एक्शन पीर एक्सचेंज (सीएपीई) में भारत के योगदान के लिए प्रावधान किया गया है।
- 21. **उधार के लिए नई व्यवस्था:** यह प्रावधान उधार लेने की नई व्यवस्था में निवेश के लिए नोट खरीद करार को आगे बढ़ाने के लिए है।
- 22. **मुद्रा, सिक्का और निर्माण::** यह प्रावधान भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के लिए है।
 - 23. आरक्षित निधि: यह प्रावधान गारंटी मोचन निधि, सॉवरेन स्वर्ण बांड निधि में अंतरण के लिए है।

- 24. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (अंतरराष्ट्रीय अंशदान): यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक/एडीबी/एएफडीबी/ब्रिक्स-एनडीबी/सार्क/एसडीएफ के लिए है।
- 25. **नेशनल इनवेस्टमेंट फंड (एनआईएफ) में स्थानांतरण:** राष्ट्रीय निवेश कोष में अंतरण के लिए प्रावधान किया जाता है
- 26. **भारतीय रणनीतिक और सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम:** भारतीय कार्यनीतिक और सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम के अंतर्गत प्रावधान किया जाता है और राष्ट्रीय निवेश निधि के माध्यम से पूरा किया जाता है।
- 27. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश: इसमें एशियाई विकास बैंक को अभिदान,एशियाई प्रशांत अवसंरचना निधि को अभिदान, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, सार्क विकास निधि अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान और भारत का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में निवेश तथा मूल्य वर्धन का अनुरक्षण दायित्व के लिए प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान में भारत का आईएमएफ में उधार देने वाले संसाधनों के साथ-साथ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, न्यू डेवलपमेंट बैंक में अंशदान भी शामिल है।
- 28. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान समयबद्ध मामलों में केंद्रीय प्रतिभूति पर व्याज भुगतान और सरकारी खातों में जमा दावा न की गई प्रतिभूतियों, संरक्षित बचत स्कीमों के भुगतान, आईएमएफ को भुगतान योग्य निर्धारण प्रभार, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं आदि के लिए है। प्रावधान एडीवी, आईआईपीडीए के आईएल एंड एफएस को लोन सं.1871- आईएनडी पीएसआईएफ की पुनःअदायगी के लिए और गोल्ड मुद्रीकरण योजना 2015 के लिए कमीशन भुगतान के लिए किया जाता है।
- 28.06. **नई योजनाएं:** यह प्रावधान नई घोषणाओं के लिए है। अपेक्षित राशि संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त पूरक मांगों/पुनर्विनियोग के जरिए प्रदान की जाएगी।
- 29. **सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण:** यह एक समेकित मांग है जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन हेतु अपने कर्मचारियों को ऋणों और अग्रिमों के भुगतान के लिए प्रावधान है। इसमें आवास खरीदने के लिए संसद सदस्यों को अग्रिम देने हेतु प्रावधान भी शामिल है।

जिस प्रयोजन से सब्याज ऋण अग्रिम दिया जाता है उनमें मकान निर्माण और कम्प्यूटरों आदि की खरीद शामिल है।

- 30. **लघु बचत योजनाएं:** यह प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान के सचिवालयी व्यय और सरकार की लघु बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए है।
 - 31. **बजट के लिए मशीनों की खरीद:** यह प्रावधान बजट के लिए मशीनों की खरीद के लिए है।
- 32. **आवास संबंधी पूंजी परिव्यय::** यह प्रावधान आईईएस अधिकारियों के लिए दिल्ली में 90 आवासों के निर्माण के लिए रखा गया है।
 - 34. **स्वर्ण मुद्रीकरण योजना:** यह प्रावधान स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम के लिए है।

36. **रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल):** यह प्रावधान कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि (आईएफडी) को रियायती साझेदार ऋण के भुगतान के लिए रखा गया है।